[लोक सभा द्वारा 21 जुलाई, 2017 को पारित रूप में]

2017 का विधेयक संख्यांक 75-सी

(दि राइट आफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद)

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 23 का संशोधन ।

2. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उपधारा (2) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

2009 का 35

"परंतु यह और कि 31 मार्च, 2015 को नियुक्त या उस रूप में नियुक्त प्रत्येक शिक्षक जो उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हता नहीं रखता है, *निःशुल्क और अनिवार्य बाल* शिक्षा का *अधिकार (संशोधन) अधिनियम*, 2017 के प्रारंभ की तारीख से चार वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हता अर्जित करेगा ।" ।

GMGIPMRND—1300LS(CRC)—21-7-2017.